

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

मु. नं. 14 सन 2018

हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील में  
जारी हुए

तारीख हुकम

07.01.2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत तहसीलदार राजस्व कोलायत से प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि सैग्रीगेशन को दृष्टिगत रखते हुए पटवारी हल्का चाण्डासर ने खाता दुरुस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 की प्रति। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

भू-अभिलेख निरीक्षक गजनेर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कोलायत की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शरह लवायत तहसील कोलायत व जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में खाता संख्या 43 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	ब्लाला	43	सयुक्त खाते में सह खातेदारान का हिस्सा रकबा में बिस्वा में दर्ज है, जबकि खसरा नम्बरान एवं खाते का रकबा हैक्टर में दर्ज है।	हिस्सा बिस्वा क स्थान पर हैक्टर में दर्ज निम्नानुसार मोहनलाल पुत्र टीकुराम 299 हि. के स्थान पर हि. 3.7823 हैक्टर, बंशीलाल पुत्र टीकुराम 118 हि. के स्थान पर हि. 1.4933 हैक्टर, सुरेन्द्र कुमार पुत्र मघाराम का 46 हि. के 0.58 हि. के स्थान पर हि. 0.5818 हैक्टर, रूपादेवी पत्नी मोतीलाल वगैरह बहिब 224 हि. के स्थान पर हि. 2.8338 हैक्टर, जगन्नाथ पुत्र घुडाराम 60 हि. के स्थान पर हि. 0.7588 हैक्टर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत